सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024/486 दर्ज तिथिः–07.10.2024

1. रूगनाथराम पुत्र विरधाराम
2. हीरादेवी पत्नी विरधाराम
3. प्रभुराम पुत्र हीरकनराम
   जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रधानाध्यापक, राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशाला मांजूओं की ढाणी
2. रूपाराम पुत्र घमण्डाराम
3. मतीदेवी पत्नी वीरमाराम
4. वालीदेवी पत्नी भभूताराम
5. सुजाराम पुत्र जगमालाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 लाधुराम पुत्र सुजाराम
   5/2 रामुराम पुत्र सुजाराम
   5/3 शंकराराम पुत्र सुजाराम
6. हरदानराम पुत्र जगमालराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 भाखरसिंह पुत्र हरदानराम
   6/2 अमलुराम पुत्र हरदानराम
   6/3 किशनाराम पुत्र हरदानराम
   जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर
7. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 529/3 रकबा 0.4613 है0 एवं खसरा संख्या 529/2 रकबा 0.5827 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी मूल खसरा 529 के खातेदार हरदान, सुजा पिता जगमाल, प्रभुराम, वरींगाराम, पूनमाराम, हड़मानराम, बुधराम, मंगलाराम पिता हिरकन, विरधा, हीरा पिता प्रतापा के आपसी सहमति से विभाजन होकर नवीन खसरा संख्या 529/6.11 बीघा, 529/2/3.15 बीघा, 529/3/3.00 बीघा नामान्तरण संख्या 373/30.05.2007 ग्राम बारासण द्वारा सृजित हुए। उक्त विभक्त खसरों की तरमीम नामान्तरण संख्या 373/30.05.2007 की पुस्त पर तरमीम लट्ठा ट्रेस में की जानी थी। परन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त नामान्तरण की पुस्त के विपरीत भिन्न तरमीम राजस्व नक्शा एवं लट्ठा ट्रेस में कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 529/3 रकबा 0.4613 है0 एवं खसरा संख्या 529/2 रकबा 0.5827 है0 मौजा बारासण की तरमीम नामान्तरण संख्या 373/30.05.2007 की पुस्त के अनुसार करवाना चाहते है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2521 दिनांक 24.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः–

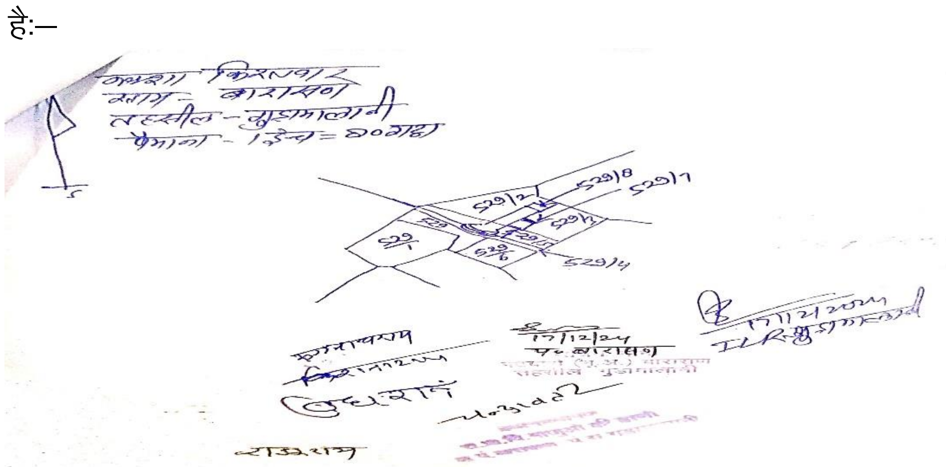

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 529 ⁄ 3 एवं 529 ⁄ 2 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

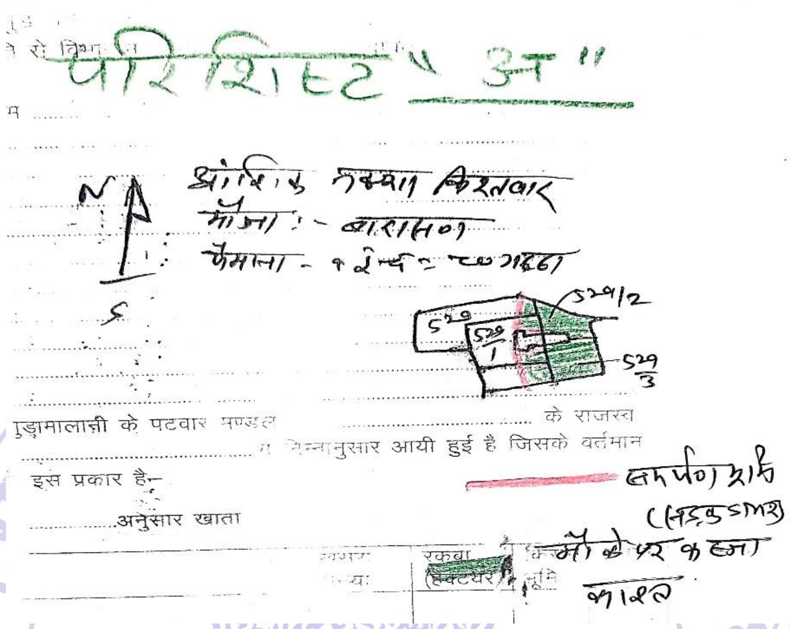

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक ⁄ भू0अ0 ⁄ 2024 ⁄ 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक ⁄ भू0अ0 ⁄ 2024 ⁄ 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

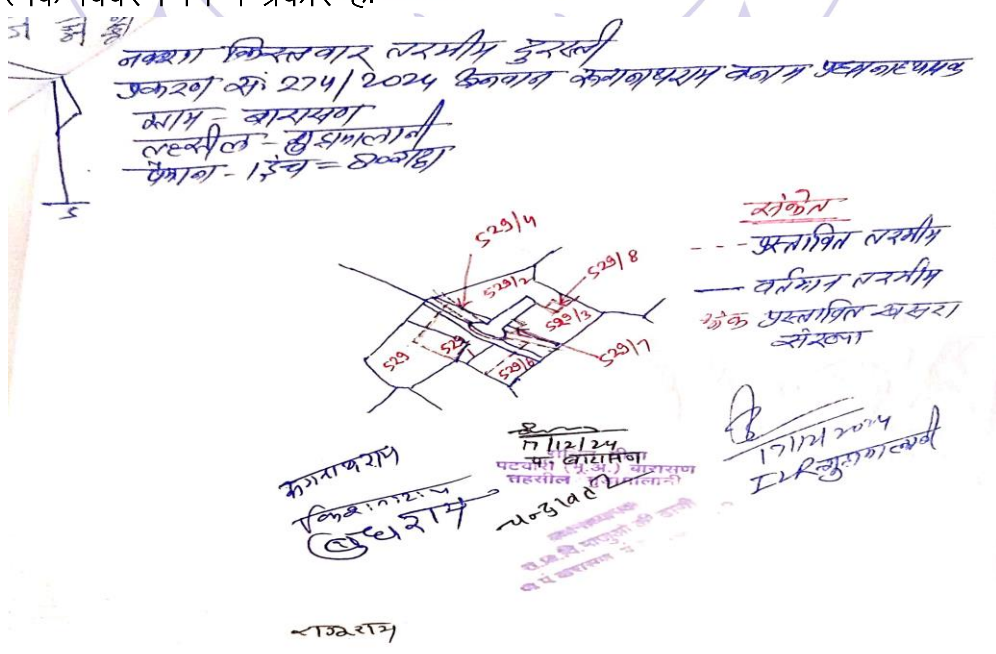

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
   1. ग्राम बारासण के नामान्तरण संख्या 373 की पुस्त पर अंकित तरमीम अक्ष से राजस्व नक्शा में की गई तरमीम भिन्न है।
   2. ग्राम बारासण के नामान्तरण संख्या 373 की पुस्त पर अंकित तरमीम अक्ष अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।
   3. प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा संख्या 529 के विभाजित खसरों की तरमीम नामान्तरण संख्या 373 व कब्जा काश्त अनुसार किया जाना उचित है।
   4. खसरा संख्या 529 के समर्पण एवं विभाजन आदेश व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 529 / 3, 529 / 2 तथा राजीव गांधी पाठशाला हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित आराजी खसरा संख्या 529 / 1 पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू0अ0/2024/2521 दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested